



राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN - U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org  
Tel- 0141- 2227665, 2227514, e-mail- rajseedsado@gmail.com



क्रमांक: एफ 1 ( )/प्रशासन/2023/6012-6267

दिनांक:- 8/6/23

### कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 एवं राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान जयपुर के क्रमांक 646 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों पर जहाँ CPF/EPF लागू है वहाँ पुरानी पेशन योजना (OPS) लागू करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त की अनुपालना में राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि वे EPF योजना के स्थान पर पुरानी पेशन योजना (OPS) का विकल्प देने का इच्छुक है तो वित्त विभाग एवं राजकीय उपक्रम विभाग के उक्त दिशा निर्देश के अनुरूप 23.06.2023 सांय 06:00 बजे तक विकल्प प्रस्तुत करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जो कार्मिक जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ है/जिस कार्यालय में पदस्थापित है उसी कार्यालय में विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त विकल्प पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निगम के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर आवश्यक कार्यवाही वित्त विभाग एवं राजकीय उपक्रम विभाग के उक्त दिशा निर्देश के सम्बन्ध में निगम के संचालक मण्डल के निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- विकल्प पत्र एवं सहमति पत्र।

(जसवंत सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक: एफ 1 ( )/प्रशासन/2023/6012-6267 दिनांक:- 8/6/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, महाप्रबन्धक, राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, राजसीड्स, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजसीड्स को निर्देशित किया जाता है अपने अधीनस्थ इकाईयों पर निगम के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र दिनांक 26.06.2023 को मध्याह्न पूर्व विशेष वाहक द्वारा महाप्रबन्धक, राजसीड्स को प्रस्तुत करें। सेवारत कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र में दी गई सूचना को कार्मिक के सेवा अभिलेख से जांच कर, प्रमाणित कर मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे।
5. निगम मुख्यालय पर सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कार्मिक विकल्प पत्र दिनांक 23.06.2023 को सांय 06:00 बजे तक महाप्रबन्धक, राजसीड्स को प्रस्तुत करें।
6. श्री गोपाल लाल जाट, बीज अधिकारी उत्पादन शाखा को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश एवं संलग्नक की प्रति निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जावेगी/निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। इस प्रकार यह मान्य होगा कि प्रत्येक सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिक इस आदेश के बारे में भलीभांति सूचित हो गया है।
8. श्री गगन सैनी, वरिष्ठ सहायक, राजसीड्स मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त विकल्प पत्र का दैनिक रूप से अलग पंजिका में इन्द्राज कर विकल्प पत्र में दी गई सूचना का सेवा अभिलेख से जांच कर प्रतिदिन प्रभारी प्रशासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिक।

(जसवंत सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

श्रीमान् महाप्रबन्धक,  
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड,  
पंत कृषि भवन, जयपुर।

विषय:- पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विकल्प पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- राजसीड्स, मुख्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ1( )/प्रशासन/2023.....  
दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) हेतु निगम द्वारा जारी आदेश एवं उक्त में वर्णित वित्त विभाग एवं राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी आदेश का मेरे द्वारा भंलिभांति अध्ययन कर लिया गया है। उक्तानुसार मेरे द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे भंलिभांति ज्ञात है कि इस विकल्प पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करना निगम के सचालक मण्डल के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

दिनांक:

स्थान:

प्रार्थी

ह0

नाम एवं पद.....  
पदस्थापन/सेवानिवृत्त स्थान.....  
सेवानिवृत्ति दिनांक .....  
सेवानिवृत्ति दिनांक को मूल वेतन एवं ग्रेड पें  
.....  
पत्र व्यवहार का पता .....  
.....  
.....  
मोबाईल न.....  
ई.मेल आई.डी.....

# RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.

Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

## OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted to service book, one copy may be returned to employees, one copy to be retained in official record)

Name of the organization.....

### **A. To be filled by employees who were in service / retired and also eligible family member of deceased employee who were earlier governed by CPF/EPF No Scheme for switching over to Old Pension Scheme.**

1. I, .....(name) the undersign, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as .....or new Pension Regulations

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name: .....

2. Designation: .....

3. Department / Office : .....

4. CPF /EPF No. (If any) : .....

5. Employee ID / GPF SAB No. : .....

Note:1. If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) हेतु निगम द्वारा जारी आदेश एवं उक्त में वर्णित वित्त विभाग एवं राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी आदेश का मेरे द्वारा भंलिभांति अध्ययन कर लिया गया है। उक्तानुसार मेरे द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे भंलिभांति ज्ञात है कि इस विकल्प पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करना निगम के सचालक मण्डल के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

**Signature of employee / dependent member with date**

**Witness :**

Witness 1.                      Signature and date

Name in Full :

Designation:

Witness 2.                      Signature and date

Name in Full :

Designation:

**B. To be filled by office :**

Received from .....(Name and Designation) regarding option for .....Pension Scheme.

Note: In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

**(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)**

Date:

**C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option**

- (i) Details of amount deposited/transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs.....
- (ii) Details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs.....
- (iii) Total amount one time deposited / transferred Rs.....

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government.
2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However, in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent on time up to 15.07.2023.
3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited / transferred in the pension fund on.....

**As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. .... is accepted for pension/family pension from ..... (date).**

Dated:

Time:

**Signature with Seal  
of the designation officer of the organization**